

रेखाचित्र अनुमोदन हेतु देय शुल्क  
उत्पादक, उच्चदाब तथा अति उच्चदाब संस्थापनायें  
( ट्रांसफार्मर, बूस्टर, कॅपेसिटर्स बँक, रियेक्टर, पावर स्टेशन, मोटर, जनरेटिंग सेट)

1	25 के.व्ही.ए. तक	240
2	25 के.व्ही.ए. से अधिक और 100 के.व्ही.ए. तक	800
3	100 के.व्ही.ए. से अधिक और 500 के.व्ही.ए. तक	1600
4	500 के.व्ही.ए. से अधिक और 1000 के.व्ही.ए. तक	3200
5	1000 के.व्ही.ए. से अधिक और 5000 के.व्ही.ए. तक	4800
6	5000 के.व्ही.ए. से अधिक और 10000 के.व्ही.ए. तक	9600
7	10000 के.व्ही.ए. से अधिक और 50000 के.व्ही.ए. तक	12800
8	50000 के.व्ही.ए. से अधिक	18000
<b>उच्चदाब, अति उच्चदाब स्थापना के ब्रेकर / पेनल</b>		
1.	11 के.व्ही तक	400
2.	11 के.व्ही से अधिक और 33 के.व्ही तक	800
3.	33 के.व्ही से अधिक और 132 के.व्ही तक	1600
4.	132 के.व्ही से अधिक और 220 के.व्ही तक	2400
5.	220 के.व्ही से अधिक और 400 के.व्ही तक	3200
6.	400 के.व्ही से अधिक	4000
<b>नई उच्चदाब या अति उच्चदाब ओवरहेड लाइन</b>		
प्रत्येक किलोमीटर या उसके भाग के लिये		
1.	11 के.व्ही तक	160
2.	11 के.व्ही से अधिक और 33 के.व्ही तक	400
3.	33 के.व्ही से अधिक और 132 के.व्ही तक	800
4.	132 के.व्ही से अधिक और 220 के.व्ही तक	1600
5.	220 के.व्ही से अधिक और 400 के.व्ही तक	2400
6.	400 के.व्ही से अधिक	4000
<b>नए उच्चदाब या अति उच्चदाब कॅबल्स / बसडकट (ओवरहेड लाइन को छोड़कर)</b>		
1.	11 के.व्ही तक	
	क- प्रथम 100 मीटर या उसके भाग के लिए	400
	ख- प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या उसके भाग के लिए	160
2.	11 के.व्ही से अधिक और 33 के.व्ही तक	
	क- प्रथम 100 मीटर या उसके भाग के लिए	800
	ख- प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या उसके भाग के लिए	400
3.	33 के.व्ही से अधिक	
	क- प्रथम 100 मीटर या उसके भाग के लिए	1600
	ख- प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या उसके भाग के लिए	800

टीप : पृष्ठ के दूसरी ओर बताए प्रपत्र पर समस्त उपकरणों का पूर्ण विवरण भर एवं तदनुसार देय रेखाचित्र अनुमोदन शुल्क निम्न शीर्ष में शासकीय कोषालय में जमा कर चालान की मूलप्रति के साथ रेखाचित्र प्रस्तुत करें ।

शीर्ष : 0043 - विद्युत पर कर तथा शुल्क,  
102 - भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क